कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा 6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल : mpugpgcounselling@gmail.com दूरभाष क्र. 0755-2557855

वेबसाईटः www.medicaleducation.mp.gov.in फैक्स

दिनांक 04/08/2023

स्नातक पाठयकम में प्रवेश के समय जमा किये जाने वाले बंध पत्र एवं सिक्यूरिटी/कॉशन मनी के सबंध में

प्रथम/द्वितीय चरण से आवंदित अभ्यर्थी जो अगले चरण/ चरणों की काउंसिलिंग हेतु अपग्रेडेशन ऑपशन लेना चाहते है को आवंदित संस्था में प्रवेश के समय रू० 500/- के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य के नाम पर निष्पादित करना होगा कि अगले चरण/चरणों में अपग्रेड न होने की रिथित में अभ्यर्थी संबंधित प्रवेशित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य के नाम पर पृथक-पृथक ग्रामीण सेवा बॉण्ड एवं सीट लिविंग बॉण्ड, प्रोफार्मा-8 के अनुसार सम्यक रूप से स्टाम्पित शपथ पत्र (0.5% of Bond amount) पर अधिष्ठाता (शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश पर) तथा संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश (निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश पर) के नाम निष्पादित करेगा। इसके अतिरिक्त संस्था केवल अंतिम रूप से प्रवेशित अभ्यर्थियों से ही कॉशन मनी/सिक्यूरिटी की राशि जमा करा सकेंगें (Candidates who are not opting for upgradation)।

Regarding submission of bond and Deposition of Caution money/Security Deposit at the time of admission

Allotted candidates from First/Second round of counselling who wish to opt for upgradation in subsequent round/rounds of counselling will have to furnish an affidavit on Rs. 500/- stamp paper to the Dean/Principal of the institution, stating that in case of candidate not upgrading in subsequent round/rounds, he/she will furnish rural service and seat leaving bond separately (as per proforma-8) in the name of Dean (in case of admission in Government Medical/Dental colleges) or Director Medical Education MP (in case of admission in Private Medical/Dental colleges). In addition to this institute shall take the Security money /Caution money from the finally admitted candidates only (Candidates who are not opting for upgradation).

Director Medical Education

Madhya Pradesh